भी विमलकुमार मन्नालालकी चौरिड़ियाः क्या श्रीमान् यह बतलायेंगे कि प्रारम्भ से ही हजारों की संख्या में इस तरह के मामले प्रिनिणींत रहे? क्या उस समय भी पूरा स्टाफ महीं था अथवा काम लापरवाही से किया जा रहा था ? इस का क्या कारण है कि उस समय से इतने केसेज अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं ?

श्री मनुभाई शाह : पांच सात वर्षों से कैसेज पैंडिंग है। जैसािक इन्कम-टैक्स केसेज में लोग एसेसमेंट को चैलेन्ज कर देते हैं वैसे ही यहां प्राइयूसर जो सेस लगाया जाता है उस को चैलेन्ज करते हैं। इसिलये हम ने सोचा कि पहले २५,००० रवड़ उत्पादकों के केसेज लें के बजाय ७०० रवड़ उप-भोक्ताओं से पहले सेस इकट्ठा कर लिया जाय श्रीर बाद में बाकी के केसेज लिये जायें।

करांची में भारतीय चांसरी की इमारत को हुई क्षति के लिये पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया गया मुश्रावजा

*३४८. श्रो भगवत नारायण भागंव :
स्या प्रधान मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे
कि २५ फरवरी, १६६१ को कराची में पाकि-स्तानी प्रदर्शनकारियों ने भारतीय चांसरी की इमारत श्रादि को जो क्षति पहुंचाई उस के लिये सरकार ने कितना मुग्नावजा मांगा था श्रौर क्या वह मुग्नावजा मिल गया है या नहीं ?

† [COMPENSATION PAID BY PARISTAN GOVERNMENT FOR DAMAGE DONE TO INDIAN CHANCERY BUILDING IN KARACHI

*348. Shri B. N. BHARGAVA: Will the Prime Minister be pleased to state the amount claimed as compensation by Government for the damage caused by the Pakistani demonstrators to the Indian Chancery building etc.

at Karachi on 25th February, 1961, and whether the same has been received or not?]

to Questions

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): २४ फ़रवरी १६६१ को पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने कराची में भारतीय चांसरी भवन को जो नुकसान पहुंचाया था, उस के मुग्नाविजे के रूप में रु० ६,४२६—६१ न० पै० की रक्तम पाकिस्तान सरकार से मांगी गई थी। उन्हों ने मुग्नाविजे की पूरी रकम चुकता कर दी है। कराची स्थित भारतीय हाई कमीशन को चैक २४ मई १६६२ को मिल गया था।

†[The DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (Shri Dinesh Singh): An amount of Rs. 8,428.81 nP. was claimed from the Government of Pakistan as compensation for the damage caused by Pakistani demonstrators to the Indian Chancery building at Karachi on 25th February, 1961. That Government have since paid the above amount in full settlement of the claim. The Indian High Commission in Karachi received the cheque on the 24th May, 1962.]

SHRI M. P. BHARGAVA: I presume this Chancery building was with us on rent. May I know what the Indian Government had to pay to the land-lord?

SHRI DINESH SINGH: As I explained the other day in this House, the Indian Chancery building is our own building and not on rent.

पाकिस्तान से हिन्दुश्रों का प्रवजन
*३४६. श्री भगवत न।रायण भागंव :
क्या प्रवल्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंके
कि :

(क) १ जून, १६६१ से ३० जूम, १६६२ तक कितने हिन्दू पाकिस्तान से भारत में आये और उन के पुनर्वास के निये क्या कार्यवाही की गई; शौर

(ख) ये लोग पाकिस्तान में कितनी भचल भौर चल सम्पत्ति छोड कर भाये भौर क्या उन्हें इस सम्पत्ति का मुग्रावजा दिलाने के लिये कोई कार्यवाही की गई ?

†[MIGRATION OF HINDUS FROM PAKISTAN

*349 SHRI B N BHARGAVA Will pleased to the PRIME MINISTER be

- (a) the number of Hindus, m grated to India from Pakıstan during the period from 1st June, 1961 to 30th June, 1962, and the taken for their rehabilitation; and
- (b) the amount of immovable and movable properties left by them in Pakistan and whether any steps were taken to get them compensated for those properties?]

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) १ जून, १६६१ से ३० जुन, १६६२ तक की भ्रविध में १४,७४८ लोग पाकिस्तान से भारत में प्रवास (माइ-मेशन) के लिए भ्राये । जो लोग १ भ्रप्रैल १९५८ के बाद भारत में भ्राये हैं, वे किसी पूनर्वास सहायता के ग्राधकारी नहीं माने जाते।

(ख) प्रधान मित्रयों के १६५० के करार के भ्रन्तर्गत, प्रवासियों (माइग्रैटम) को भ्रपने साथ ग्रपनी चल सम्पत्ति लाने का भविकार रहता है। जहां तक पाकिस्तान में छुटी हुई धवल सम्पत्ति का मामला है, उस पर प्रवासी का हक बना रहता है; इसलिए उस वे मम्राविजे का सवाल नहीं उठता। इसके प्रचावा यह बात भी है कि इमें इसकी जानकारी नहीं होती कि इन यचल सम्पत्तियाँ की कीमत कितनी है, और उसे जान सकना व्यावहारिक भी नहीं होता।

+ THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 15,748 (SHRI DINESE SINGE).

persons migrated from Pakistan India during the period 1st June, 1961 to 30th June, 1962 Migrants entering India on and after 1st April, 1958 are not eligible for any rehabilitation assistance

(b) Under the Prime Ministers' Agreement of 1950, a migrant is entitled to bring out with him his mov-As regards immovable able assets properties left behind in Pakistan, the migrant's rights continue to vest in the property, therefore the question of compensation does not arise thermore, no valuation of these immovable properties is available nor it is practicable]

श्री भगवत नारायण भागव यह सही है कि इन प्रवासियों में से बहतों ने पश्चिमी बगाल सरकार को भ्रपना रिप्रे-जेन्टेशन दिया है श्रीर उसके सम्बन्ध में श्रभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है?

श्री मेहर चन्द खन्ना जहा तक मेरा खयाल है, कोई खास रिप्रजेन्टेशन नहीं दिया गया है; क्योंकि असल चीज यह है कि जो लोग पाकिस्तान मे १२ श्रौर १५ साल रहने के बाद हिन्द्स्तान भ्राते हैं, वे भ्रपनी जायदाद बेच सकते हैं श्रीर वहा पर रख सकते है। इस तरह के लोगों को रिहैबिलिटेशन का श्रिधकार नहीं है। हमने उन लोगो को रिहैविलिटेट किया, जो शरू में भ्राये। भीर इस तरह से हमेशा रिहैबिलिटेशन का सिल-सिला नही चल सकता है।

SHRI B D KHOBARAGADE May I know whether the Government have enquired into the circumstances which compelled thousands of Hindus leave Pakistan and migrate to India?

SHRI DINESH SINGH This point has been answered in this when the Prime Minister made his statement These people feel insecure in Pakistan and, therefore, they are coming away here

SHRI R S KHANDEKAR these refugees are not entitled to rehabilitation, why are they not allow-

^{†[]} English translation

ed to bring their movable and immovable properties to India.

SHRI DINESH SINGH: How can anyone bring immovable property?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Immovable property does not move.

SHRI A. B. VAJPAYEE: According to the Agreement, a migrant is allowed to bring movable property with him. But is it not a fact that really they are not allowed to bring any property with them and that many of them have come as paupers to India?

SHRI MEHR CHAND KHANNA: It would be correct to say that we entered into a movable property agreement between India and Pakistan on the western side and that has been largely implemented. As far as the eastern side is concerned, I have seen people coming from Pakistan to India and whatever little belongings they have of movable property they are bringing with them.

SHRI A. D. MANI: The hon. Deputy Minister stated just now that these migrations are due to their feeling of fear of life and property in Pakistan. If that was so, I would like to know what representations the Government of India have made to Pakistan about this matter.

Shri JAWAHARLAL NEHRU: I would add to my colleague's answer by saying that this is due to economic conditions. The economic conditions there have not been good, and the pressure of these conditions has made them come. As for the other matters, we have repeatedly pointed out to the Pakistan Government about this feeling of insecurity among the minority community there.

श्री भगवत नारायण भागव : क्या यह सही है कि जून १६६२ के बाद जो लोग वहां से ग्राना चाहते हैं, उन पर रोक लगा दी गई है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : बहुत से लोग ग्रमी भी आये हैं और श्रा रहे हैं । वहां से दा तरह के लाग थ्रा रहे हैं। कुछ तो माइग्रेशन सार्टिफिकंट लेकर थ्रा रहे हैं। कुछ बगैर माइग्रेशन सार्टिफिकंट के श्राये हैं। मैं अभी कलकत्ते गया था और मेरी वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे बातचीत हुई, ता उनसे पता लगा था कि काई १००१ हजार ऐसे हैं, जा संताल हैं, जो बगैर माइग्रेशन सार्टिफिकेट के श्राये हैं श्रौर ५०६ हजार वे हैं, जो माइग्रेशन सार्टिफिकेट लेकर श्राये हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा पर प्रतिबन्ध

*३५०. श्री भगवत नारायण भागंव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की छुपा करेंगे कि भारत-पाकिस्तान पारपत्र श्रीर वीसा नियम के बारे में दानों देशों ने जो प्रतिबन्ध लगाये थे, क्या उनके विषय में भारत श्रीर पाकिस्तान के बीच कोई नई बातचीत हुई है; श्रीर यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

†[RESTRICTIONS ON TRAVEL BETWEEN INDIA AND PAKISTAN

*350. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state whether there have been any fresh negotiations between India and Pakistan regarding the restrictions imposed by both the countries in connection with the Indo-Pakistan Passport and Visa Rules; and if so, with what results?]

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : जी, नहीं ।

हमारे कराची-स्थित हाई किमश्नर इस मामले पर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करते रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने श्रभी तक कोई सूचना नहीं दी है कि वह बीजा देने के मामले में उदारता बरतने के सवाल पर भारत सरकार के साथ सलाह-मश्चिरा करने के लिए कब तैयार होगी।

^{†[]} English translation.